

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3116
दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

भारत और अर्जीटीना के बीच लिथियम की खोज संबंधी समझौता ज्ञापन

3116. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः

श्री मितेश पटेल (बकाभाई)ः

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिथियम की खोज के संदर्भ में भारत और अर्जीटीना के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के क्या दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है;

(ख) सहयोग और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की संभावनाओं सहित उक्त समझौता ज्ञापन के प्रमुख प्रावधानों का व्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अर्जीटीना से लिथियम का आयात स्थिर रहे और उन पर भू-राजनीतिक जोखिमों का प्रभाव न पड़े; और

(घ) क्या उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों को लिथियम खनन और प्रसंस्करण कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति दिए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): अर्जीटीना में लिथियम के विशाल भंडार हैं और यह वैश्विक लिथियम बाजार का एक प्रमुख प्रतिभागी है। स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए लिथियम के सामरिक महत्व को मान्यता देते हुए खनिज संसाधनों में सहयोग के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार और खनन सचिवालय, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, अर्जीटीना के बीच 26 अगस्त, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस समझौता ज्ञापन के दीर्घकालिक लाभों में भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के लिए स्थिर लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित करना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करना शामिल है।

(ख): यह समझौता ज्ञापन सहयोग के दायरे को रेखांकित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लिथियम गवेषण, निष्कर्षण और प्रसंस्करण शामिल है। यह सतत खनन कार्य पद्धतियों पर ज्ञान को साझा करने पर जोर देता है, दो देशों के बीच निवेश और साझेदारी को सुगम बनाता है, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और भू-वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक प्रतिभागी समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए सहयोगात्मक कार्यकलापों से संबंधित अपने व्ययों वहन करेगा। तथापि, वर्तमान में कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

(ग): लिथियम की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए भारत एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। इसमें कई लिथियम समृद्ध देशों के साथ जुड़कर अपने स्रोतों में विविधता लाना, दीर्घकालिक समझौतों को बढ़ावा देना और राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करना शामिल है।

(घ): समझौता ज्ञापन को अर्जेंटीना में लिथियम खनन और प्रसंस्करण कार्यकलापों में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों दोनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
